न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष-डी०सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 16 / 16 वैवाहिक

तोताराम पुत्र सोबरनसिंह आयु 28 साल जाति कुशवाह (काछी) निवासी वार्ड नं.2 रिलाइंस टावर के पास गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

श्रीमती सुमन पत्नी तोताराम पुत्री पूरनसिंह आयु 26 साल जाति कुशवाह निवासी वार्ड नं02 विहारीदास कालोनी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

आवेदक द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता

आवेदिका द्वारा श्री आर०पी०एस०गुर्जर अधिवक्ता

ALINATA PAROTO ALINATA SUNT

/ / नि र्ण // आज दिनांक 08.09.2016 को पारित किया गया //

- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।
- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि तोताराम (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती सुमन (जो कि आवेदनपत्र में आवेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार कमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 10-2-2008 को वार्ड नं.2 गोहद पर हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था और विवाह के बाद पक्षकार कं02 राजीखुशी से पक्षकार कं01 के साथ रहकर पति पत्नी के रूप में जीवन यापन किया । दोनों

पक्षकारों के मध्य विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही मतभेद उत्पन्न हो गये तथा पित पत्नी के रूप में साथ रहकर जीवन यापन करना दुर्लभ हो गया था । पक्षकार कं02 ने पक्षकार कं01 के साथ कभी भी पत्नीवृत जीवन निर्वहन नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप आवेदकगण के कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकी । आवेदक कं02 के माता पिता बृद्ध हैं इसलिये वह उनके सहारे के लिये माता पिता के घर ही स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है । इसलिये आपस में दिनांक 12—2—2016 को सहमति हो चुकी है और पूर्व से ही लगभग 5 वर्ष से प्रथक प्रथक रह रहे हैं और इस बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं रहे हैं । दोनों के मध्य भविष्य में दाम्पत्य एवं शारीरिक संबंधों के पुनः स्थापना होने की कोई संभावना नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 10—2—2008 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है।

- 3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 23—2—16 को पेश किया गया उसके उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 तोताराम एवं पक्षकार कं02 श्रीमती सुमन को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया | पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं02 श्रीमती सुमन पक्षकार कं01 तोताराम की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है | आपसी सहमित के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है | उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह—समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है | उभयपक्ष पांच वर्ष की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं | आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है | पक्षकार कं02 श्रीमती सुमन के द्वारा सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार कं01 से प्राप्त कर लिया है |
- 5— उपरोक्त संबंध में विचार उपरांत उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में

उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

1—आवेदक पक्षकार कं01 तोताराम तथा श्रीमती सुमन पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 20-6-2005 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल) .त जज र जिला भिण्ड त्रिक्तिक क्रिक्तिक क्रिक्